

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली – 110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1/आर.टी.आई./70/2025-2026

23 मार्च, 2026

श्री चुन्नी लाल
पुत्र श्री छोटे लाल,
मौहल्ला सीतापुरी डबल फाटक संभल रोड़,
जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001।

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में आपकी आर.टी.आई. इस सचिवालय में 13.03.2026 को प्राप्त हुई है जिसके साथ 10 रुपये का पो०आ०सं० 71एफ 408463 संलग्न कर जिसमें आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत किया जाता है कि आपके दिनांक 17.05.2025 के आवेदन को श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101 लोक भवन, बी-ब्लॉक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवम् श्रीयुत जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है तथा उसकी एक प्रति आपको को भी इस आशय के साथ प्रेषित की गई थी कि भविष्य में आप उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।



(सरिता चौहान)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सरिता चौहान
SARITA CHAUHAN
अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001
TEL.: 23094953, 23094954 FAX : 23094950

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2025(ह)-प्रशासन

03 जून, 2025

श्रीयुत मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार,
101, लोक भवन, बी ब्लॉक
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री चुन्नी लाल पुत्र छोटे लाल, मोहल्ला सीतापुरी डबल फाटक, संभल रोड, मुरदाबाद, उत्तर प्रदेश का दिनांक -- का पत्र इस सचिवालय मे दिनांक 02.06.2025 को प्राप्त हुआ है ।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय


ह./-

(सरिता चौहान)

प्रति सूचनार्थ :-

1. श्रीयुत जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001
2. श्रीयुत मुख्य अभियंता (सिविल), लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश, कंठ रोड, पीएसी टाउनशिप, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001
3. श्री चुन्नी लाल पुत्र छोटे लाल, मोहल्ला सीतापुरी डबल फाटक, संभल रोड, मुरदाबाद, उत्तर प्रदेश ।


(सरिता चौहान)



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र
फार्म (ए)
देखिए नियम 3(1)

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी/उपराष्ट्रपति महोदय,
कार्यालय का नाम व पता—उपराष्ट्रपति दिल्ली मंत्रालय भारत

1. आवेदक का पूरा नाम : चुन्नी लाल पुत्र छोटे लाल
2. पता : निवासी मौहल्ला सीतापुरी डबल फाटक संभल रोड
जिला मुरादाबाद उ0प्र0-244001
मोबा0-7668080173
3. वांछित सूचना का विवरण: खसरा सं0-91 रकवा-0.93 एकड़ (3763 वर्गमीटर) ग्राम मझोली तहसील व जिला मुरादाबाद उ0प्र0 के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना वांछित है।

(i) सूचना की विषय वस्तु :

1. यहकि खसरा सं0-91 रकवा-0.93 एकड़ (3763 वर्गमीटर) ग्राम मझोली तहसील व जिला मुरादाबाद उ0प्र0 के सी0एच0-41 प्रपत्र में उल्लिखित विशेष विवरणानुसार 0.65एकड़ भूमि आबादी (आवासीय) के रूप में दर्ज है तथा शेष 0.28 एकड़ जो सड़क के रूप में दर्शायी गयी है उसका पूर्ण विवरण की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
2. यहकि खसरा सं0-91 रकवा-0.93 एकड़ (3763 वर्गमीटर) ग्राम मझोली तहसील व जिला मुरादाबाद उ0प्र0 की संगलीकरण में 0.65एकड़ (2630 वर्गमीटर) आराजी को प्रार्थी के नाम आबादी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु लापरवाही वश अथवा जानबूझकर इसे सड़क के रूप में दर्ज कर दिया गया जिससे प्रार्थी को उसके वैध स्वामित्व से वंचित होना पड़ा उसका कारण व उसकी सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
3. यहकि खसरा सं0-91 रकवा-0.93 एकड़ (3763 वर्गमीटर) ग्राम मझोली तहसील व जिला मुरादाबाद उ0प्र0 के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2025 को प्रेषित किया जिस पर आपके द्वारा मुख्य सचिव लखनऊ, पी0डब्ल्यू0डी0 मुरादाबाद व जिलाधिकारी मुरादाबाद को प्रार्थी के उक्त आराजी सम्बन्ध में जांच करने के आदेश दिये गये जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कर रिपोर्ट उपराष्ट्रपति को प्रेषित की गयी उसकी सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

(ii) सूचना जिससे सम्बन्धित हो, की अवधि: एक माह

(iii) मांगी गयी सूचना का वर्णन : उपरोक्तानुसार।

(iv) क्या सूचना स्वयं ली जायेगी अथवा डाक के माध्यम से— डाक के माध्यम से
(वास्तविक डाक प्रभार, अतिरिक्त शुल्क में जोड़ा जायेगा)

(vi) यदि डाक द्वारा भेजा जायेगा:

(साधारण पंजीकृत या स्पीड पोस्ट)— पंजीकृत डाक द्वारा

वांछित शुल्क हेतु दो अदद पोस्टल आर्डर मु0-10/-रूपये संख्या-71F408463संलग्न है।
स्थान-रामपुर।

दिनांक-11.03.2026

चुन्नी लाल
(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्राप्ति रसीद

आपका आवेदन पत्र दिनांकित.....द्वारा डायरी नं0.....दिनांक.....
को प्राप्त हुआ।

सेवा में,
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय,
दिल्ली मंत्रालय,
भारत।

विषय : खसरा संख्या में भूमि अभिलेखों के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी चुनी लाल पुत्र छोटे लाल, मोहल्ला सीतापुरी डबल फाटक, सम्भल रोड, मुरादाबाद के स्वामित्व वाली खसरा संख्या रखवा, ग्राम मंडोली, तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद की 0.93 एकड़ (लगभग 3763 वर्ग मीटर) भूमि को राजस्व अभिलेखों में गलत तरीके से लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़क के रूप में दर्ज कर दिया गया है। संघलीकरण (कंसोलिडेशन) से पूर्व उक्त भूमि विक्रय विलेख दिनांक 24 जुलाई 1960 के माध्यम से पुराने खसरा संख्याएँ 380/1, 381/1, 383/1, एवं 384/1 में विक्रय की गई थी, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। किन्तु संघलीकरण की प्रक्रिया के दौरान उक्त भूमि को लोक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया, जैसा कि संघलीकरण प्रपत्र CH41 में उल्लिखित है, जिसमें यह भूमि खसरा संख्या 91 रखवा के रूप में 0.93 एकड़ (3763 वर्ग मीटर) दर्ज है। CH41 प्रपत्र में उल्लिखित विशेष विवरणानुसार, 0.65 एकड़ भूमि आबादी (आवासीय) के रूप में दर्ज है, तथा शेष 0.28 एकड़ को सड़क के रूप में दर्शाया गया है। संघलीकरण की प्रक्रिया में 0.65 एकड़ (2630 वर्ग मीटर) भूमि को प्रार्थी के नाम आबादी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था, परंतु या तो लापरवाहीवश अथवा जानबूझकर इसे सड़क के रूप में दर्ज कर दिया गया, जिससे प्रार्थी को उसके वैध स्वामित्व से वंचित होना पड़ा।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त 0.65 एकड़ (2630 वर्ग मीटर) भूमि को प्रार्थी चुनी लाल पुत्र छोटे लाल, मोहल्ला सीतापुरी डबल फाटक, सम्भल रोड, मुरादाबाद के नाम पर आबादी के रूप में, अधिकार सहित दर्ज किया जाए एवं लोक निर्माण विभाग को अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने हेतु आदेशित किया जाए।

आपकी कृपा व आदेश हेतु सदा आभारी रहूँगा।

सादर,

दिनांक - 17-05-25

प्रार्थी

चुनी लाल पुत्र छोटे लाल
मोहल्ला सीतापुरी डबल फाटक
सम्भल रोड, मुरादाबाद।